(प्रपत्र–एक)

<u>उन्नत नस्ल के सांड प्रदाय हेतु प्रस्ताव आमंत्रण</u>

प्रति,

संचालक,
पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़
जी.ई.रोड. रायपुर
0771–2331392, फैक्स नं. 0771–2331391

महोदय,

मैने आपके द्वारा समाचार पत्र में सांड प्रदाय हेतु विज्ञापन संख्या............... .... दिनांक..................... के सभी खण्डों एवं उन्नत नस्ल के सांड प्रदाय हेतु प्रस्ताव–दस्तावेज को भली–भांती पढ़ और समझ लिया है और मैं उनसे पूर्णतः सहमत हॅू। आपूर्ति से सम्बन्धित आवश्यक विवरण, संचालक, पशु चिकित्सा सेवाये, छत्तीसगढ़, जी.ई.रोड. रायपुर के पक्ष में देय रूपये 5.00 लाख की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक........................दिनांक................... संलग्न है। मैं आगे यह भी स्वीकार करता हॅू कि सांड प्रदाय प्रस्ताव की स्वीकृति पर, प्रत्येक मास आपूर्ति पशुओं की संख्या हेतु प्रति पशु रूपये 1000/– की प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा करूंगा।

1. पूर्तिकार का नाम :

2. कम्पनी का नाम (यदि पूर्तिकार की कम्पनी है/सोसायटी में सहभागिता है, तो इसे पंजीकृत होना चाहिए और इससे समर्पित दस्तावेज इसके साथ संलग्न होने चाहिए):

   पता :

   टेलीफोन संख्या :

   फैक्स संख्या :

3. कम्पनी/पूर्तिकार की पंजीकरण संख्या, यदि हो :

4. उन्नत नस्ल सांड की प्रति मास आपूर्ति की संभावित संख्या :

5. विगत 2 वर्षो के दौरान शासकीय/अर्धशासकीय संस्था को पशुधन आपूर्ति से संबंधित अनुभव का विवरण (कृपया आपूर्ति आदेश अथवा संबंधित दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें) :

....
हस्ताक्षर

स्थान : ....
दिनांक : .... नाम : ....

(प्रपत्र–दो)

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैने सांड प्रदाय संबंधी प्रस्ताव एवं दस्तावेज के सभी खण्डों/शर्तो को भली–भांति पढ़ और समझ लिया है और मैं इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। मेरे द्वारा दिये गये विवरण सत्य और सही है और कोई भी वास्तविक सूचना मेरे द्वारा छुपाई नही गई है।

स्थान : ....
दिनांक : ....

——————————————
(पूर्तिकार के हस्ताक्षर)

नाम : ....

पता : ....
....
....

टेलीफोन संख्या : ....

फैक्स संख्या : ....

टिप्पणी :

1. सांड प्रदाय प्रस्ताव की स्वीकृत पर विभागीय समिति के समक्ष आवश्यक प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की प्रस्तुती अनिवार्य है।
2. सांड प्रदाय प्रस्ताव के स्वीकृत होने की स्थिति में, पूर्तिकार को रू. 100/– के नान–ज्यूडीशियल स्टैंप पेपर पर इकरारनामें में हस्ताक्षर करने होंगे, जो संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र (प्रोफार्मा) के अनुरूप होगा।
3. राष्ट्रीयकृत बैंक की ही बैंक गारंटी स्वीकार्य होगी।

(प्रपत्र–तीन)

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें,
छत्तीसगढ़, जी.ई. रोड, रायपुर, 492001
दूरभाष 0771 2331392 फैक्स–077102331391

इच्छुक सांड प्रदायकर्ता हेतु, शर्ते व नियम–

1. सांड प्रदाय हेतु प्रस्ताव प्रपत्र केवल कार्यालयीन प्रपत्र में ही मान्य होगी।
2. प्रस्ताव प्रपत्र निर्धारित अवधि एवं समय के पश्चात् स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. प्रस्ताव प्रपत्र एवं उसके साथ अमानत राशि जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर" के नाम देय हो तथा रायपुर में भुगतान योग्य हो संलग्न कर, संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, जी.ई. रोड, रायपुर, 492001 कार्यालय में जमा किया जाएगा। यदि प्रस्ताव प्रपत्र नियमानुसार नहीं होगा या अपूर्ण होगा तो, संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़ को बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. सांड प्रदाय हेतु प्राप्त संपूर्ण प्रस्तावों को निर्धारित तिथि एवं समय पर संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, जी.ई. रोड, रायपुर, कार्यालय में अधिकृत विभागीय समिति के सदस्यों के समक्ष, इच्छुक सांड प्रदायकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यदि वे उपस्थित रहना चाहें, खोला जायेगा।
5. इच्छुक सांड प्रदायकर्ताओं का प्रस्ताव अस्वीकृत या निरस्त होने पर पूर्ण अमानत राशि (बगैर ब्याज के) वापस की जायेगी। सफल सांड प्रदायकर्ताहों की अमानत राशि, सुरक्षा निधि में समायोजित की जायेगी।
6. यदि सांड प्रदाय हेतु प्रस्ताव किसी फर्म अथवा कम्पनी द्वारा भरी जाती है, तो फर्म के प्रत्येक भागीदार के हस्ताक्षर होने चाहिये। भागीदार की अनुपस्थिति में उस सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिये जिसे अनुपस्थित भागीदार ने वैधानिक रूप से अधिकृत किया हो। सांड प्रदाय हेतु प्रस्ताव खुलने के दौरान ऐसे सभी कागजात प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिससे अधिकृत किए गये सदस्यों की

वैधानिकता तथा फर्म जो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम (Indian Partnership Act) के अंतर्गत पंजीकृत की गई है एवं उसके सदस्यों की संख्या का उल्लेख करते हों। साझेदारी (Partnership Deed) के दस्तावेजों की एक प्रति, सांड प्रदाय प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

7. एक व्यक्ति या फर्म से एक से अधिक प्रस्ताव अलग–अलग नाम से नहीं ली जायेगी।

8. सांड प्रदाय हेतु प्रपत्र एवं दस्तावेज के प्रत्येक पेज के नीचे इच्छुक सांड प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिये।

9. केवल निर्धारित नस्ल एवं मापदण्ड की उन्नत नस्ल के सांड प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय करना आवश्यक है। प्रदायकर्ता निर्धारित नस्ल जैसे साहीवाल, गिर, थारपारकर, रेडसिंधी, अंगोल, हरियाणा नस्ल के सांड उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

10. यदि सांडों का चयन अन्य प्रांतों के होल्डिंग फार्म में किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा उन्नत नस्ल के सांडों के चयन हेतु चयन दल भेजा जायेगा जो निर्धारित स्थल पर सांड प्रदाय प्रपत्र की शर्त (21) के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप चयन करेगा।

11. विन्दु क्रमांक 10 अनुसार, कार्यवाही की स्थिति में प्रदायकर्ता का यह दायित्व होगा कि चयन क्षेत्र में एक होल्डिंग फार्म का प्रबंध करे जहां चयन क्षेत्र में लाये गये सांडों को रखने की व्यवस्था हो और जब तक चयन दल द्वारा सांडों का चयन नहीं किया जाता एवं तद्नुसार प्रमाण–पत्र जारी कर, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य हेतु भेजना नहीं जाता तब तक उनके चारा–पानी की व्यवस्था करें।

12. राज्य के बाहर से लाये जाने वाले सांडों का चयन ब्रीडिंग ट्रेक्ट्स के चयन क्षेत्र में स्थापित होल्डिंग फार्म पर ही राज्य की चयन समिति द्वारा किया जावेगा, उक्त अवधि तथा तत्श्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के होल्डिंग फार्म की क्वरेंटाईन अवधि में सांडों के खान–पान, रख–रखाव की जिम्मेदारी प्रदायकर्ता की होगी। मार्ग में होने वाली सांड की मृत्यु की जिम्मेदारी प्रदायकर्ता की होगी। प्रदायकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिला संयुक्त/उप संचालक से सांड प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी होगी। सभी प्रकरणों में इस तरह की प्राप्ति रसीद ही सांड प्राप्ति की पुष्टि मानी जायेगी तत्पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। चयनोपरांत हितग्राही के घर तक सांडों को पहुचांने की जिम्मेदारी सांड प्रदायकर्ता की होगी।

13. छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर से ही सांड प्रदाय की स्थिति में जिलावार, स्थित होल्डिंग फार्म पर, चयन हेतु सांड उपलब्ध कराने पर उसके रख–रखाव, आहार आदि की व्यवस्था पशु प्रदायकर्ता द्वारा की जायेगी। चयन से पहले सांडों को स्वास्थ्य लाभ एवं रोग परीक्षण के लिए पशुपालन विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित होल्डिंग फार्म पर क्वारेंटाईन अवधि में रखा जायेगा। सांड प्रदाय प्रस्ताव की कंडिका–21 में विशेष रूप से उल्लेखित मापदण्ड अनुसार, पशुपालन विभाग द्वारा नामांकित चयन दल द्वारा सांड का चयन किया जायेगा तथा चयन एवं पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। चयनोपरांत हितग्राही के घर तक सांडों को पहुचांने की जिम्मेदारी सांड प्रदायकर्ता की होगी।

14. चयनित सांडों की पहचान हेतु ईयर टैगिंग की जायेगी। ईयर टैग प्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

15. प्रस्ताव प्रपत्र स्वच्छ, पूर्ण जानकारी सहित एवं बगैर कांट–छांट के मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा।

16. पशु प्रदायकों को पशुओं के परिवहन के दौरान कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम "पशु क्रूरता अधिनियम" एवं परिवहन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

17. पशु प्रदायकों को पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित राज्य के किसी भी जिला या विकासखण्ड में स्थित होल्डिंग फार्म पर पशु उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा सकता है।

18. यदि पशु प्रदायक द्वारा अनुबंध या कार्यादेशानुसार पशु निश्चित संख्या एवं समयावधि में उपलब्ध नहीं कराए जाते तो पशु प्रदायक अनुबंध की शर्तानुसार होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार होंगे तथा 2 प्रतिशत की दर से कुल अनुबंध राशि के अर्थदण्ड की वसूली उनके देयक अथवा जमा अमानत/सुरक्षा राशि से की जायेगी।

19. पशु प्रदायकर्ता द्वारा विगत 2 वर्षों में से किन्हीं एक वर्ष में कम से कम 500 गौवंशीय/भैंसवंशीय पशुओं का किसी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था को प्रदाय करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

20. पशु प्रदायकर्ता को प्रस्ताव के साथ, संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, रायपुर के नाम पर, अमानत राशि रू. 5.00 लाख, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

21. पशु प्रदायकों को निम्न मापदण्ड अनुसार दुधारू /द्विकाजी सांड उपलब्ध कराने होंगे :

i. प्रदाय किये जाने वाले पशु का स्वास्थ्य परीक्षण विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा प्रदेश के बाहर के निर्धारित होल्डिंग फार्म या प्रदेश के अंदर स्थिल होल्डिंग फार्म पर किया जावेगा।
पशु स्वस्थ एवं शुद्ध नस्ल के लक्षण एवं मापदण्डों के अनुरूप व प्रजनन क्षमता होने पर ही स्वीकार, किया जावेगा। अस्वीकृत पशुओं को पशु प्रदायकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर वापस लिया जावेगा।

ii. पशु प्रदायकर्ता को भारतीय दुधारू एवं द्विकाजी नस्ल यथा साहीवाल, गिर, थारपारकर, रेडसिंधी, हरियाणा, अंगोल नस्ल के प्रजनन योग्य सांड जो 2 से 4 अथवा 4 से 6 पक्के दांत के हो, प्रदाय करना होगा। अंदत या पूरे दांत के सांड स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

iii. प्रदाय किये जाने वाले पशुओं को उस अवधि तक लगने वाले समस्त टीकाकरण, (जैसे एफ.एम.डी., एच.एस. एवं बी.क्यू.) लगाये जाने संबंधी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राज्य के बाहर होल्डिंग फार्म होने पर अथवा राज्य के अंदर सांड चयन होने पर चयन दल द्वारा इस बावत सत्यापन किया जाना आवश्यक है कि चयनित सांडों में सभी आवश्यक टीकाकरण हो चुका है। सांड परिवहन पश्चात् संयुक्त/उपसंचालक को प्रदाय के समय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

iv. पशुओं को चयन/प्रदाय के पूर्व, बिन्दु क0 12 अथवा 13 (जैसी भी स्थिति हो) में दिये निर्देशानुसार निर्धारित Quarantine अवधि तक संबंधित होल्डिंग फार्म/ प्रदाय केन्द्र पर रखना अनिवार्य होगा, जिसका खान–पान, इलाज का पूर्ण व्यय पशु प्रदायकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। राज्य के बाहर पशु के चयन होने की स्थिति में प्रदायक द्वारा पशु रोग जैसे टी.बी., जोन्सडिसीज, बुसेलोसिस इत्यादि की जांच राज्य के बाहर ही स्थानीय प्रयोगशाला से करायेगा एवं जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार राज्य के अंदर सांड चयन की स्थिति में विभागीय स्थानीय/नजदीकी रोग अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा नमूने लेकर प्रतिवेदन दिया जावेगा। इस पर होने वाला संपूर्ण व्यय प्रदायक द्वारा वहन किया जावेगा। जांच नमूने में उक्त रोग से मुक्त होने पर ही सांड चयनित किये जायेंगे, जिनका आवश्यकतानुसार समय–समय पर पुनः परीक्षण किया जावेगा।

v. प्रदाय किये जाने वाले सांड Sexually Transmitted Diseases से मुक्त होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

vi. योजनांतर्गत प्रदायित सांडों के Pedegree Record प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उत्तम Pedegree Record के आधार पर ही पशुओं का चयन किया जावेगा, जिसके अनुसार, प्रदाय किये जाने वाले सांडों की मां का दुग्ध उत्पादन, नस्ल के औसत दुग्ध उत्पादन के बराबर होना आवश्यक है, जो कि निम्नानुसार है :

क्रमांक	नस्ल	मां का न्यूनतम दुग्ध उत्पादन (300 दिन)
1	साहीवाल	1600 लीटर
2	गीर	1400 लीटर
3	थारपारकर	1400 लीटर
4	रेडसिंधी	1600 लीटर
5	हरियाणा	1200 लीटर
6	अंगोल	1200 लीटर

vii. ऐसे सांडों को प्राथमिकता दी जायेगी जो सेन्ट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम अंतर्गत पंजीकृत हैं। सेन्ट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन के अभिलेखों की प्रमाणिकता का दायित्व प्रदायक का होगा। चयनदल अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात् ही सांडों का चयन करेंगे।

viii. सांड प्रदाय के 06 महीने के अंदर पशुओं में गर्भधारण न होने की स्थिति में सांडों का रिप्लेसमेन्ट(प्रतिस्थापन) करना होगा।

ix. नस्ल व मापदण्ड के विवाद या शंका की स्थिति में संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा जांच की जाकर उनके अभिमत अनुसार सांड स्वीकार/अस्वीकार किये जावेंगे। ऐसे अस्वीकार किये गये सांडों को प्रदायक द्वारा स्वयं के व्यय पर वापस करना होगा। संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनको निरस्त (Reject) करने का पूर्ण अधिकार होगा।

22. प्रस्ताव प्रपत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के होल्डिंग फार्म एवं राज्य के बाहर के ब्रीडिंग ट्रेक्ट में चयन हेतु उपलब्ध कराये गये उन्नत नस्ल के सांड की कीमत का विवरण पृथक रूप से किया जाना चाहिए। प्रस्ताव–प्रपत्र में पशु की नस्ल, उम्र एवं प्रदाय स्थल का भी उल्लेख होना चाहिए।

23. सांड प्रदायकर्ता का प्रस्ताव अमान्य होने पर, प्रस्ताव के अंतिम निर्णय होने की तिथि के एक माह के बाद इच्छुक सांड प्रदायकर्ता की अमानत राशि बगैर ब्याज के वापस की जायेगी। जिस प्रदायकर्ता का प्रस्ताव मान्य होगा, उसकी अमानत राशि को सुरक्षा–निधि में समायोजित कर दिया जायेगा।

24. सुरक्षा राशि, अनुबंध प्रलेख प्रस्तुत करते समय जमा किया जाना आवश्यक है। यदि प्रदायकर्ता द्वारा अनुबंध वर्णित तिथि एवं समय पर नहीं किया जाता तो अमानत राशि राजसात करते हुए सांड़ प्रदाय हेतु प्रस्ताव निरस्त कर दिया जावेगा।

25. समस्त प्रकार के कर (विक्रय कर, आक्ट्राय आदि) प्रदायक द्वारा वहन किये जायेंगे। तथा स्त्रोतों पर आयकर की कटौत्री नियमानुसार की जावेगी।

26. पशु प्रदायक द्वारा स्वयं लिए गये पूरे ठेके या ठेके के किसी हिस्से को किसी अन्य को देने का अधिकार नहीं होगा।

27. मापदण्ड अनुरूप पशुओं का प्रदाय तथा लक्ष्यों की यथासमय प्रदायगी नहीं करने की स्थिति में उन्हें Black List किया जाकर, जमा की गई अमानती राशि/सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी।

28. नस्लवार पशुओं के मूल्य में जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

29. संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर को प्रदायकों के साथ चर्चा एवं निगोशियेशन (समझौता) के द्वारा पशुओं के मूल्य निर्धारण करने का अधिकार रहेगा।

30. दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रजनन योग्य सांड प्रदाय हेतु अभिव्यक्ति का प्रदर्शन की सूचना, प्रस्ताव आवेदन–पत्र, प्रस्ताव प्रपत्र में उल्लेखित नियम एवं शर्ते तथा पशु प्रदायक द्वारा संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर के साथ किया गया अनुबंध को इस प्रस्ताव के नियम एवं शर्तो में समाहित माना जायेगा।

31. संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर को इच्छुक सांड प्रदायकर्ता का प्रस्ताव–पत्र को मान्य अथवा अमान्य करने या बगैर कोई सूचना/कारण दिये निरस्त करने का अधिकार होगा।

32. प्रजनन योग्य सांड प्रदाय संबंधी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में केवल रायपुर के सक्षम न्यायालय में ही क्षेत्राधिकार निहित होगा।

उपरोक्तानुसार क्रमांक 1 से 32 तक समस्त शर्ते मैंने/हमने पढ़ व समझ ली है तथा मुझे/हमें पूर्णतः मान्य है।

स्थान :

हस्ताक्षर..
नाम ....
दिनांक ....

(प्रपत्र –चार)

सांड प्रदाय की शर्ते–नियम 21 के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के पशु प्रदाय हेतु सहमति :–

मैं / हम ....

गौ–संवर्धन योजना अंतर्गत् सांड प्रदाय हेतु नियम शर्ते के कंडिका 21 में दिये बिन्दु क्रमांक i से ix तक प्रावधानों के अनुसार नस्लवार निर्धारित मापदण्ड के पशु प्रदाय हेतु सहमत है।

....

हस्ताक्षर

स्थान : ....

दिनांक : ....

नाम : ....

(प्रपत्र–पांच)

मैं/हम...

प्रमाणित करते है कि विगत 5 वर्षो में छत्तीसगढ़ राज्य तथा अन्य राज्य के किसी शासकीय/अर्ध शासकीय उपक्रम द्वारा हमें काली–सूची में नहीं रखा गया है।

उपरोक्त कथन सत्य है।

....

हस्ताक्षर

स्थान : ....

दिनांक : ....

नाम : ....

(प्रपत्र–छः)

1. पशुओं की नस्ल तथा आपूर्ति स्थान का नाम दें :

2. देश के विभिन्न प्रांतों में नस्लवार, ब्रीडिंग ट्रेक्स में स्थित होल्डिंग फार्म में चयन हेतु सांड को उपलब्ध कराने एवं चयनोपरांत, छत्तीसगढ़ राज्य के होल्डिंग फार्म तत्पश्चात् हितग्राही के घर तक पहुंचाने का व्यय

क्र. स.	विवरण	मासिक आपूर्ति	साहीवाल		गिर		थारपारकर		रेडसिंधी		हरियाणा		अंगोल		अन्य विवरण
			दर	परि वहन	दर	परि वहन	दर	परि वहन	दर	परि वहन	दर	परि वहन	दर	परि वहन	
अ	उन्नत नस्ल के सांड														

आपूर्ति पशुओं की संख्या में कोई भी घटत/बढ़त (25% से अधिक नहीं) स्वीकार्य है।

....
हस्ताक्षर

स्थान : ....
दिनांक : ....

नाम : ....

(प्रपत्र–सात)

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार निर्धारित होल्डिंग फार्म में सांड उपलब्ध कराने तथा चयन पश्चात् हितग्राही के घर तक पहुंचाने की परिवहन लागत :

क्र. स.	विवरण	मासिक आपूर्ति	साहीवाल		गिर		थारपारकर		रेडसिंधी		हरियाणा		अंगोल		अन्य विवरण
			दर	परिवहन	दर	परिवहन	दर	परिवहन	दर	परिवहन	दर	परिवहन	दर	परिवहन	
अ	उन्नत नस्ल के सांड														

आपूर्ति पशुओं की संख्या में कोई भी घटत/बढ़त (25% से अधिक नहीं) स्वीकार्य है।

....

हस्ताक्षर

स्थान : ....

दिनांक : ....

नाम : ....

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें,
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक................../प.वि.प्र./33/गौसंयो/2008–09 रायपुर, दिनांक....................

सूचना–पत्र

गौ–संवर्धन योजनांतर्गत उन्नत नस्ल के सांड प्रदाय हेतु दर आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत् ग्राम पंचायतों में भारतीय दुधारू एवं द्विकाजी नस्ल के सांडों के प्रदाय हेतु प्रस्ताव/दरें आमंत्रित की जाती है। प्रजनन योग्य सांड प्रदाय हेतु इच्छुक प्रदायकर्ता अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से आवेदन पत्र, रूपये 500/– नगद या बैंक ड्राफ्ट जमा कराकर दिनांक 01 मई, 2008 से 16 जून, 2008 दोपहर 12 बजे तक प्राप्त कर सकते है, जिसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 16 जून, 2008 को दोपहर 3:00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्राप्त प्रस्ताव जमा करने के अंतिम दिनांक 16 जून, 2008 अपरान्ह 4:00 बजे को गठित समिति के समक्ष खोले जावेंगे। प्रस्ताव प्रपत्र के मुहरबंद लिफाफे को, जिसके ऊपर "उन्नत नस्ल के सांड उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव 2008–09" लिखा हो, को संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, जी.ई.रोड रायपुर 492001, (फोन नं. 2331394) कार्यालय में उपलब्ध प्रस्ताव बाक्स में डाला जाए, अथवा पंजीकृत डाक या कुरियर सर्विस द्वारा उपरोक्त पते पर प्रेषित किया जा सकता है। विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। प्रेषित प्रस्ताव मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव से संबंधित समस्त दस्तावेज संलग्न किए जाए। निविदा संबंधी आवेदन तथा विस्तृत जानकारी संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें, जी.ई.रोड रायपुर तथा छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईड www.chhattisgarh.nic.in पर प्राप्त की जा सकती है। साइट से डाऊनलोड कर प्रस्ताव प्रस्तुति की स्थिति में रूपये 5,00=00 (अंकन रूपये पांच सौ मात्र)अतिरिक्त का बैंक ड्राफ्ट जो कि संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम देय संलग्न करना होगा, जिसके अभाव में प्रस्ताव अमान्य माना जावेगा।

दर आमंत्रण हेतु सामान्य शर्ते :

आवेदक को अपना प्रस्ताव दो पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जो निम्नानुसार होंगे :–

(A) पहला लिफाफा

इस लिफाफे में निम्नानुसार अभिलेख रखे जावेंगे :–

(i) अमानती राशि का रू. 5.00 लाख अंकन रूपये पांच लाख मात्र का D.D. जो कि संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम होगा।

(ii) विगत 3 वर्ष में पशु प्रदाय का विवरण।

(iii) अनुभव प्रमाण–पत्र

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी PAN/TAN नम्बर की छायाप्रति।

(v) उन व्यक्तियों के नाम जो पशु प्रदायक के साथ कार्यरत हों।

(vi) हस्ताक्षरित आवेदन पत्र। (प्रपत्र–एक)

(vii) हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र (प्रपत्र–दो)

(viii) हस्ताक्षरित नियम व शर्ते (प्रपत्र–तीन)

(ix) सांड प्रदाय की शर्ते व नियम कंडिका 21 के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के पशु प्रदाय हेतु सहमति। (प्रपत्र–चार)

(x) पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अन्य किसी भी राज्य में पशु प्रदाय हेतु Black List न किये जाने का प्रमाण–पत्र। (प्रपत्र–पांच)

(xi) यह लिफाफा सीलबंद होगा तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में अंकित होगा "Technical Bid for Bull Supply"

(B) दूसरा लिफाफा

इस लिफाफे में निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत किये जावेंगे।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के होल्डिंग फार्म से सांड प्रदाय की स्थिति में सांडों की नस्लवार दरें तथा परिवहन (हितग्राही/पशुपालक के घर तक पहुंचाने का व्यय) राशि का सुस्पष्ट अंकन (प्रपत्र–छः में)।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर के होल्डिंग फार्म से सांड प्रदाय की स्थिति में (प्रपत्र– सात में)

(iii) यह लिफाफा सीलबंद होगा तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में अंकित होगा "Financial Bid for Bull Supply"

विभागीय समिति के समक्ष इच्छुक सांड प्रदायकर्ताओं को मूल दस्तावेज परीक्षण हेतु, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्राप्त प्रस्ताव जमा करने के अंतिम दिनांक को अपरान्ह 4:00 बजे गठित समिति के समक्ष खोले जावेंगे जिस दौरान् प्रस्तावक या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

उपरोक्त सभी जानकारी अप्राप्त होने से सांड प्रदाय हेतु प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर, निरस्त समझा जावेगा।

शर्तयुक्त प्रस्ताव अमान्य किया जावेगा।

(बी.पी.एस. नेताम)
आई.ए.एस.
संचालक,
पशु चिकित्सा सेवायें,
छत्तीसगढ़, रायपुर